PROPOSED LAYOUT PLAN OF RESIDENTIAL SCHEME

AT K.H NO. 1134/~~1260~~ 1240,1136,1136/1250,1138,1139,

VILL. KHATIPURA URF KALYANPURA , TEHSIL, SANGANER , JAIPUR

930 / B / 24.8.21

RC ENCLAVE-II

SCALE:-1=500

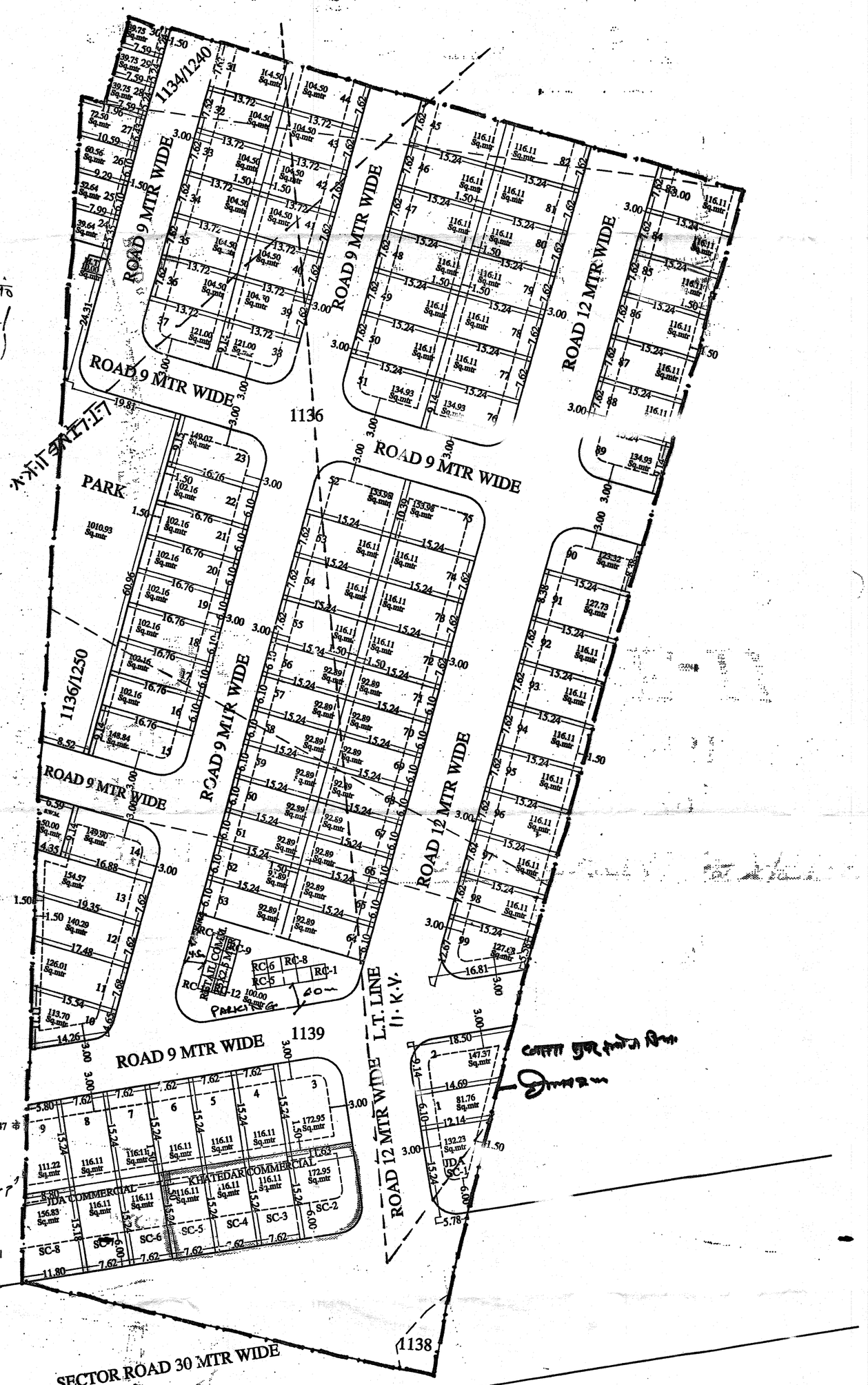

मूल पत्रावली के पैरा 15(1)n के अनुसार योजना में रहन में रखे समस्त 12.5% भूखण्डों को रहन से मुक्त किया जाता है।

उप नगर नियोजक जोन-09 — उपायुक्त जोन-09

योजना R.C. एन्क्लेव के मानचित्र में सहवन से ख.नं. 1134/1260, अंकित हो गया था, जिसको 90A/ALC/BPC(LP) के निर्णय अनुसार 1134/1240 पढ़ा जावे।

ATP Zone-9 — DC(Sir) Zone-9

1योजना मे आन्तरिक विकास कार्य के पेटे कुल विक्रय योग्य क्षेत्रफल का 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल 1396.21 वर्ग मीटर के निम्नलिखित भूखण्ड जविप्रा मे रहन मे रखे गये है :-

क्र.सं.	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल (व.मी. मे)
1	8	116.11
2	9	111.22
3	12	140.29
4	24	39.64
5	25	52.64
6	26	60.56
7	28	39.75
8	31	104.50
9	32	104.50
10	33	104.50
11	34	104.50
12	35	104.50
13	41	104.50
14	42	104.50
15	43	104.50
	कुल क्षेत्रफल	1396.21 व.मी.

1. योजना की 90ए की कार्यवाही दिनांक 27.11.2020 को प्रकरण संख्या LU/2012/JDA/2020-21/100847 के द्वारा की जा चुकी है।
2. योजना की भूमि जोनल प्लान 8 व सेक्टर प्लान 36 मे स्थित है।
3. मास्टर प्लान के विकास योजना 2025 के अनुसार आवेदित भूमि का भू-उपयोग (आवासीय) है जिसमें आवासीय योजना को अनुमोदन अनुज्ञेय गतिविधि है।
4. योजना का अनुमोदन बीपीसी (एल.पी.) की 297वीं बैठक दिनांक 15.03.2021 मे किया जा चुका है।
5. योजना मानचित्र टाउनशिप पॉलिसी 2010 व जयपुर भवन विनियम 2020 के अनुसार जारी किये जाने हेतु तैयार किया गया है।
6. योजना के कॉनर भूखण्डों को नियमानुसार कर्व दिये गये है।
7. बीपीसी (एल.पी.) के निर्णयानुसार आवेदित भूमि को 30 मीटर चौडी सडक से पहुंच मार्ग उपलब्ध है।
8. योजना मे पार्क फैसिलिटी के अलावा 50 वर्ग मीटर भूमि ठोस कचरा प्रबंधन व 10.00 वर्ग मीटर मोबाईल टावर हेतु आरक्षित रखा जाना है।
9. योजना में 11 के.वी. एच.टी./एच.टी. लाईन से प्रभावित भूखण्डों को अवैध किये जाने के पश्चात ही बीजडीड जारी की जावे।

योजना की जांच मौके पर मेरे द्वारा की गयी है। सैक्टर रोड प्लेसमेंट मे परिवर्तन प्रार्थी को मान्य होगा।
(कनिष्ठ अभियन्ता जोन-9) जविप्रा, जयपुर

योजना की सीमा का राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार सत्यापन मेरे द्वारा किया गया है।
(अमीन) जोन-9 — (तहसीलदार) जोन-9

योजना की भूमि का तकनीकी परीक्षण मेरे द्वारा किया गया है।
(सहायक नगर नियोजक) जोन-9

यह मानचित्र योजना के अनुमोदन की कार्यवाही हेतु तैयार किया गया है।
उपायुक्त जोन-9

व0 नगर नियोजक (बी.पी.सी. एल.पी.) — अति.मु.नगर नियोजक (बी.पी.सी. एल.पी.)

KEY-PLAN

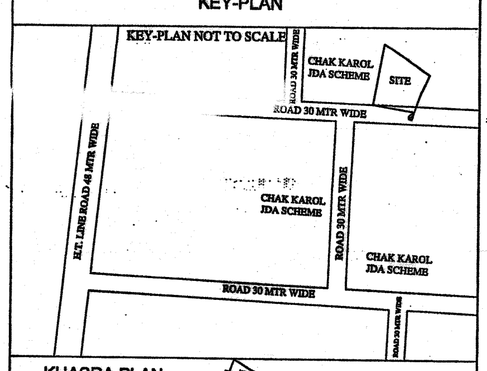

KHASRA PLAN

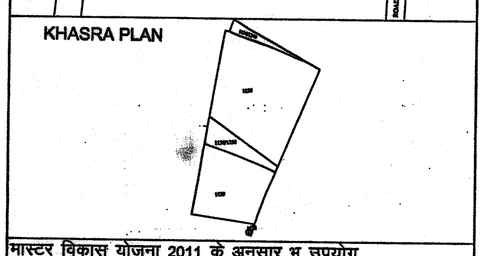

मास्टर विकास योजना 2011 के अनुसार भू उपयोग
भूखण्डों की निर्माण स्थिति :-

आवासीय व्यावसायिक

1. पूर्ण / आंशि निर्मित भूखण्ड –
2. चार दीवारी निर्मित भूखण्ड –
3. खाली भूखण्ड –

कुल भूखण्ड

मौके के अनुसार योजना का भू उपयोग व तकनिकी विश्लेषण :-

	उपयोग	क्षेत्रफल (SQ.MTR)	प्रतिशत
1	RESIDENTIAL	10809.45	59.44%
2	RETAIL COMM.	100.00	0.55%
3	PARK	1010.93	5.57%
4	MOBILE TOWER AND S.W.M	60.00	0.33%
5	ROAD	6203.16	34.11%
कुल योजना क्षेत्र		18183.54	100.00%
खातेदार का वाणिज्य क्षेत्र		521.28	22.50%
जेडीए वाणिज्य क्षेत्र		521.28	22.50%
जेडीए सेक्टर रोड़		1273.90	55.00%
कुल सेक्टर रोड़ एवं वाणिज्य क्षेत्र		2316.46	100.00%
कुल खातेदार का क्षेत्र		20500.00	

योजना की भूमी की रा.भू.रा. अधिनियम की धारा 90A की कार्यवाही एवं मौके पर भूमि का प्रमाणीकरण मेरे द्वारा किया गया। योजना की पूरी भूमि प्राधिकरण में निहित हो चुकी है।

नाम तहसीलदार — नाम उपायुक्त जोन:-

बी.पी.सी / जी. एल. सी. की बैठक संख्या दिनांक की अनुपालना में योजना मानचित्र स्वीकृत कर जारी किया गया।

NAME OF SCHEME :-RC ENCLAVE-II
VILLAGE :- AT VILL. KHATIPURA URF KALYANPURA
TEHSIL :- SANGANER , JAIPUR.

ZONE NO. — SECTOR NO.

SCALE — DRG. NO.

A.T.P. ZONE — D.T.P. — S.T.P.

JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY JAIPUR